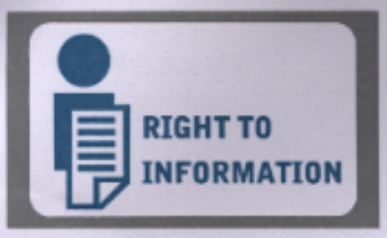

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

FORM -'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2)

No.RTIA/DR-HCIND/1667 **Indore, Dated 29-08-2016**

प्रेषक :

डिप्टी रजिस्ट्रार,

राज्य लोक सूचना अधिकारी,

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,

खण्डपीठ इन्दौर

प्रति :

श्री केसरसिंह पिता श्री खीमसिंह,

उम्र 38 वर्ष,

व्यवसायः प्रायवेट ड्रायवर,

पताः सी/125, आय0डी0ए0कॉलोनी,

स्कीम नम्बर 134, तुलसी नगर,

इन्दौर (म0प्र0)

विषयः- आपके व्दारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 में प्रस्तुत सूचना प्राप्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन आई0डी0कमांक 13/16-17 के निरस्तीकरण बाबद ।

उपरोक्त विषय में आपके व्दारा प्रस्तुत सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 आवेदन-पत्र दिनाँक 02-08-2016 जिसे आई0डी0कमांक 13/2016-17 पर दिनाँक 03-08-2016 को पंजीकतृ किया गया था एवं जिसके व्दारा आपने श्री देवीलाल पालीवाल,वाहन चालक,म0प्र0उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर से संबंधित जानकारी की वे दिनाँक 17-4-2015, 05-5-15, 08-07-15, 15-08-15, 5-12-15, 10-2-16, 26-4-16,22-6-16 को विभाग में उपस्थित हुए थे मांगी थी।

चूंकि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 8(1)(जे) व धारा 11 के अनुसार उपरोक्त जानकारी श्री देवीलाल पालीवाल की व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित प्रतीत होने व जिसके प्रकट करने का किसी लोक कियाकलाप या हित से सम्बन्ध प्रतीत नहीं

अविरत....2....

29/08/16

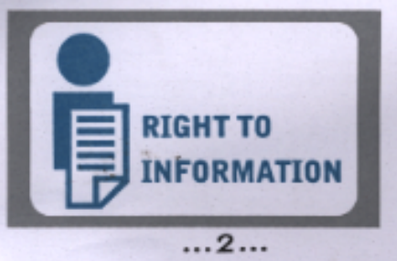

होने से श्री देवीलाल पालीवाल को इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देना व उन्हें प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाने हेतु श्री देवीलाल पालीवाल को सूचना-पत्र जारी किया गया था व उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे दिनाँक 10-08-16 को या इसके पूर्व व्यक्तिगत रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर या तो उनसे संबंधित उपरोक्त व्यक्तिगत जानकारी आप श्री केसरसिंह को देने बाबद अनापत्ति प्रस्तुत करे या प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द अभ्यावेदन प्रस्तुत करे जिसके पालन में श्री देवीलाल पालीवाल ने व्यक्तिगत रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष दिनाँक 10-08-2016 को उपस्थित होकर मौखिक रूप से व लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करते हुए उनसे संबंधित व्यक्तिगत सूचना जो कि उनकी निजी व गोपनीय जानकारी हैं उसे आपको प्रदान नहीं किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रकटन के विरूध्द कड़ी आपत्ति लेकर निवेदन किया था कि उनकी व्यक्तिगत एवं गोपनीय जानकारी प्रदान नहीं की जावे क्योंकि उपरोक्त सूचना व्यापक लोकहित में भी नहीं हैं, तथा उन्होनें आपके व्दारा सूचना के अधिकार के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन को निरस्त करने बाबद प्रार्थना की थी ।

तत्पश्चात् सूचना के अधिकार,2005 में वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए आपको दिनाँक 11-08-2016 को आमंत्रित किया गया एवं श्री देवीलाल पालीवाल व्दारा दिनाँक 10-08-2016 को मौखिक रूप से ली गई कड़ी आपत्ति के संबंध में बताया गया व उनके व्दारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन व आपत्ति की प्रतिलिपि प्रदान कर अवसर दिया गया तथा आपको दिनाँक 22-08-2016 तक का समय इस निर्देश के साथ दिया गया था कि आप श्री देवीलाल पालीवाल से संबंधित उनकी निजी व गोपनीय जानकारी जो कि व्यापक लोकहित में भी प्रतीत नहीं होती है, क्यों चाहते है इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर बताए व लिखित में जवाब प्रस्तुत करे एवं ऐसा नहीं करते हैं तो मामलें में एकपक्षीय कार्यवाही की जा सकेगी ।

किन्तु दिनाँक 11-08-2016 की प्रोसिडिंग नोट कर हस्ताक्षर करने के पश्चात भी आप न तो दिनाँक 22-08-2016 को अद्य ोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए न ही इस संबंध में आपने कोई लिखित जवाब ही आज दिनाँक तक भेजा हैं, अतः श्री देवीलाल पालीवाल, वाहन चालक व्दारा प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन व आपत्ति को ध्यान में रखते हुए आपका सूचना के अधिकार से संबंधित उपरोक्त वर्णित आवेदन निरस्त किया जाता हैं ।

आपको यह भी सूचित किया जाता हैं कि आप इस विनिश्चय के विरूध्द आदेश जारी होने के 30 दिवस के अन्दर प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, अपीलीय अधिकारी, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने के हकदार हैं ।

(सजेश कुमार शर्मा) 29.08.16

लोक सूचना अधिकारी सह डिप्टी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर

O/c.